# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

# कार्यवृत्त

## प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक

दिनांक

17 नवम्बर, 2022

स्थान

**बृहस्पति भवन**

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

## प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक

### कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को प्रातः 11.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो. अनिल कुमार शुक्ला,<br>कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. शिव प्रसाद<br>(कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) | सदस्य |
| 3. | प्रो. सुब्रतो दत्ता<br>(कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) | सदस्य |
| 4. | डॉ. पंकज चौधरी,<br>(कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) | सदस्य |
| 5. | डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ<br>(राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) | सदस्य |
| 6. | डॉ0 सुनिता पचौरी,<br>(प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि ) | सदस्य |
| 7. | श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़,<br>(प्रमुख शासन सचिव,वित्त/संभागीय आयुक्त, अजमेर, के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 8. | श्री विनेश सिंघवी,<br>(प्रमुख शासन सचिव, आयोजना के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 9. | कुलसचिव | सदस्य सचिव |

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित रहेः-</u>

| | | |
|---|---|---|
| 10. | डॉ. रघु शर्मा, विधायक<br>(विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) | सदस्य |
| 11. | श्री प्रशांत बैरवा, विधायक<br>(विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) | सदस्य |
| 12. | डॉ. विभा शर्मा,<br>(कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष) | सदस्य |

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व कुलपति महोदय ने समस्त सदस्यों का परिचय कराया। इसके पश्चात् कुलपति महोदय ने कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

| मद | विवरण | अनुभाग/विभाग |
|---|---|---|
| मद सं. 01 | प्रबन्ध बोर्ड की 100वीं बैठक दिनांक 09.05.2022 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना ।<br>उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 (100) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2022/14486-97 दिनांक 16.05.2022 के द्वारा प्रेषित की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-01)** | शैक्षणिक-I |
| निर्णय | **प्रबन्ध बोर्ड की 100वीं बैठक दिनांक 09.05.2022 के मद संख्या 13 (5) पर प्रो. अरविन्द पारीक एवं प्रो. सुभाष शर्मा के संबंध में की गयी शिकायत की जांच हेतु गठित प्रो. बी.एम. शर्मा (पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा) कमेटी की जांच कार्रवाई पूर्ण नहीं होने पर सदन ने गम्भीर नाराजगी व्यक्त की तथा कुलसचिव को समिति अध्यक्ष प्रो.बी.एम.शर्मा व सदस्यों को जांच पत्रावली से जुडे सभी दस्तावेज यथाशीघ्र उपलब्ध कराकर एक माह में जांच पूर्ण करने तथा आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । शेष कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।** | |
| मद सं. 02 | प्रबन्ध बोर्ड की 101वीं बैठक दिनांक 16.08.2022 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना ।<br>उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 (101) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2022/23391-402 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा प्रेषित की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-02)** | शैक्षणिक-I |
| निर्णय | **कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।** | |
| मद सं 03 | प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2022 के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3)** | शैक्षणिक-I |
| निर्णय | **अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि की गयी ।** | |
| मद सं 04 | प्रबन्ध बोर्ड की 100वीं बैठक दिनांक 09 मई, 2022 के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना **(कार्यसूची का परिशिष्ट-4)** | शैक्षणिक-I |

| | | |
|---|---|---|
| निर्णय | **अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि की गयी ।** | |
| **मद सं 05** | प्रबन्ध बोर्ड की 101वीं बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2022 के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)** | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि की गयी ।** | |
| **मद सं 06** | विद्या परिषद् की 69वीं बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-6)** | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **विद्या परिषद् के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।** | |
| **मद सं. 07** | डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 को मेमोरेण्डम क्रमांक एफ. 1( )संस्था/मदसविवि/2014/11481-82 दिनांक 01-05-2014 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-07)** के साथ अनुशासन नियम IV (a) 14 (i) के तहत आरोप पत्र **(कार्यसूची का परिशिष्ट-08)** माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार जारी किया गया था तथा डॉ0 जैन को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु 07 दिवस में प्रतिवेदन देने हेतु समय दिया गया। इस क्रम में डॉ0 जैन द्वारा माननीय कुलपति महोदय को दिनांक 02-05-2014 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा माननीय कुलपति महोदय ने उन्हें अनुशासन नियम 1 (2) एवं 3 (2) के तहत नियमों की अवहेलना का दोषी पाये जाने के कारण विश्वविद्यालय आचरण एवं अनुशासन नियम 14 (i) (ii) के तहत असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोके जाने के आदेश प्रदान किये, जोकि दिनांक 01-07-2014 से प्रभावी थे। इस हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2014/16547 दिनांक 29-05-2014 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-09)**<br>कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2014/ 22737-64 दिनांक 04-07-2015 के द्वारा डॉ0 विनोद कुमार जैन की असंचयी प्रभाव से रोकी गई वेतनवृद्धि जारी कर दी गई। डॉ0 जैन द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 16547 दिनांक 29-06-2014 के क्रम में प्रार्थना पत्र दिनांक 21-08-2014 को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। विश्वविद्यालय आचरण एवं अनुशासन नियम Appeals and Review के नियम 19 (2) (An Employee may appeal against an order imposing upon him any of the penalties specified in rule 11 to the Authority to which the authority which made the order is | **संस्थापन** |

| | | |
|---|---|---|
| | immediately subordinate. Appeal against the order passed by the Vice Chancellor shall lie to the Board) के तहत माननीय कुलपति महोदय द्वारा पारित आदेश की अपील प्रबंध बोर्ड में की जा सकती है।<br><br>अतः प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष डॉ0 जैन की अपील विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | |
| निर्णय | **उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ए.सी.पी. को सेवा नियमानुसार जारी शास्ति के विरूद्ध अपील करने की समय सीमा, उनके द्वारा की गयी अपील, विलम्ब के कारणों, इनकी कार्य प्रणाली संतोषजनक होने के संबंध में, प्रबन्ध बोर्ड में इनकी वेतनवृद्धि रोकने के प्रकरण को प्रबन्ध बोर्ड में रखा गया अथवा नहीं आदि के संबंध में कुलसचिव, वित्त नियंत्रक तथा कुलपति द्वारा नामित एक अन्य सदस्य की समिति उक्त तथ्यों की छानबीन कर एक महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी ।** | |
| **मद सं. 08** | परीक्षा-2021 के दौरान राजकीय महाविद्यालय, देवली से छात्रा निशा मीणा, अनुक्रमांक 297092 बी.एससी पार्ट-द्वितीय, जन्तु विज्ञान तृतीय प्रश्न-पत्र में अनुचित साधन प्रयोग का प्रकरण विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ ।<br><br>फार्म संख्या 39 ई के बिन्दु II के अनुसार छात्रा शौचालय में पुस्तक पढ़ती हुई पायी गयी ।<br><br>उक्त प्रकरण विश्वविद्यालय नकल प्रकरण निस्तारण समिति के समक्ष दिनांक 06.06.2022 को प्रस्तुत किया गया । नकल प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय नियम "Unfair-Means and Disorderly Conduct Rules" का गहनता से परीक्षण करने के उपरान्त नियमों में उक्त का उल्लेख नहीं होना पाया गया, इस कारण बिन्दु संख्या 4 (पी) के अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया है ।<br><br>4 (पी) उक्त नियमों में निम्नानुसार अंकित है:-<br>Case of use of "unfairmeans or of disorderly conduct not covered under the above catergories from (4) (a) to 4 (o) or those which, in the opinion of Committee appointed by the Board of Management deserves some other punishment, shall be decided by the Board of Management."<br>समिति के निर्णयानुसार उक्त प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | **परीक्षा नियंत्रक** |

| निर्णय | **उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर संबंधित छात्रा को वर्तमान परीक्षा एवं उसकी आगामी परीक्षा (P+1) से वंचित करने का निर्णय लिया गया ।** | |
|---|---|---|
| मद सं. 09 | माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट सत्र के दौरान नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रय प्रारम्भ करने तथा सीट अभिवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसके आदेश बजट सत्र समाप्ति के पश्चात् जारी किये जाते हैं एवं विश्वविद्यालय को उक्त राजकीय महाविद्यालयों से बिना विलम्ब शुल्क आवेदन स्वीकार किये जाने बाबत् निर्देशित किया जाता है।<br><br>विश्वविद्यालय अध्यादेश 70-ए(8)(i) के प्रावधानानुसार आगामी सत्र हेतु नवीन सम्बद्धता/अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि/स्थायी सम्बद्धता हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर उक्त प्रावधानानुसार विलम्ब शुल्क देय है। **(अध्यादेश 70-ए(8)(i) कार्यसूची का परिशिष्ट-10)**<br><br>राज्य सरकार द्वारा नवीन महाविद्यालय खोलने एवं संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रय प्रारम्भ करने के आदेश बजट सत्र समाप्ति के पश्चात् जारी किये जाते हैं, जो कि 31 दिसम्बर के पश्चात् ही होते हैं एवं विश्वविद्यालय को उक्त राजकीय महाविद्यालयों से बिना विलम्ब शुल्क आवेदन स्वीकार किये जाने बाबत् निर्देशित किया जाता है।<br><br>उक्त प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड की 90वीं बैठक दिनांक 29.08.2016 के मद संख्या 25 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय लिया गया कि- **''राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठयक्रम चलाने, सीट अभिवृद्धि तथा नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु विश्वविद्यालय अध्यदेश 70-ए(8)(1) में वर्णित विलम्ब शुल्क संबंधी प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए सत्र 2015-16 एवं आगामी सत्रों से ऐसे राजकीय महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की दिनांक से 2 माह की अवधि में बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सदस्य, प्रबंध बोर्ड एवं विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम के सुझावानुसार कतिपय निजी महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से मनमर्जी शुल्क वसूली को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त निजी महाविद्यालय अपने मुख्य सूचनापट्ट पर महाविद्यालय द्वारा लिये जा रहे समस्त शुल्कों का विवरण प्रदर्शित करने तथा दो माह में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक जिले के पाँच निजी महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण कराया जावे।''**<br><br>राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 4 (402) आयो/आकाशि/संबद्धता/2022-23/1025 दिनांक 25 अगस्त, 2022 के अनुसार जिन महाविद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गयी है उन महाविद्यालयों के द्वारा | **शैक्षणिक-II** |

| | | |
|---|---|---|
| | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के दो माह पूर्ण होने के पश्चात् भी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किये जा रहे है ।<br>प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयानुसार किसी भी राजकीय महाविद्यालय को राज्य सरकार के द्वारा नवीन संकाय, नवीन विषय (स्नातक एवं स्नातकोत्तर), नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत किये जाने हेतु बिना विलम्ब शुल्क सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में जारी आदेश की दिनांक से दो माह के भीतर सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होता है । परन्तु कुछ महाविद्यालयों द्वारा दो माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी सम्बद्धता हेतु आवेदन किये जा रहे है । इस संबंध में प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय कुलपति महोदय के द्वारा राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये गये तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 4 (402)आयो/आकाशि/ संबद्धता/ 2022-23/ 1025 दिनांक 25 अगस्त, 2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-11)** को आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये ।<br>बिना विलम्ब शुल्क सम्बद्धता प्रदान किये जाने संबंधी यह कार्यवाही/व्यवस्था केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की अनुपालना में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये नवीन संकाय, नवीन विषय (स्नातक व स्नातकोत्तर) एवं क्रमोन्नत किये गये राजकीय महाविद्यालयों हेतु है । इसके पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 25772-85 दिनांक 28.09.2016 प्रभावी रहेगा ।<br>अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 15.09.2022 की अनुपालना में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | |
| निर्णय | **पुष्टि की गयी तथा निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश केवल सत्र 2022-23 के लिए ही लागू रहेंगे ।** | |
| मद सं. 10 | **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:-**<br><br>**(1) प्रतिवेदन है कि,** विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रावधान है कि- "PG courses shall be allowed to be started at a college only if 5 years of continous and successful degree teaching has | **शैक्षणिक-II** |

| | | |
|---|---|---|
| | been conducted at the college in the concerned subject or group of subject as deemed fit by the concerned Board of Studies" राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 6 (6)शिक्षा/ग्रुप-3/2022 दिनांक 28.06.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-12)** के द्वारा राजकीय महाविद्यालय नावां (नागौर) को स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान विषय आवंटित किया गया है । जबकि विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातक स्तर पर किसी विषय के पांच वर्ष तक संचालित होने के उपरान्त ही स्नातकोत्तर स्तर पर उस विषय के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है । राजकीय महाविद्यालय नावां (नागौर) को संचालित हुए अभी 03 वर्ष ही पूर्ण हुए है । संबंधित प्रकरण राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 06.09.2022 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय नावां (नागौर) को राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में उक्त विषय की नवीन अस्थाई सम्बद्धता दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी । राज्य सरकार द्वारा अन्य राजकीय महाविद्यालयों के संबंध में भी इस प्रकार के आदेश जारी किये जा सकते है ।<br><br>माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेश की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालय नावां (नागौर) को स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान विषय की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने संबंधी कार्यवाही जारी है । अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 06.09.2022 प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है साथ ही राज्य सरकार के द्वारा अन्य राजकीय महाविद्यालयों हेतु यदि इस प्रकार के कोई आदेश जारी किये जाते है तो उन्हें भी समान रूप से मान्य किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । यह व्यवस्था केवल राजकीय महाविद्यालयों के लिए ही मान्य है । | |
| निर्णय | **पुष्टि की गयी तथा निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार से अन्य किसी राजकीय महाविद्यालय के संबंध में ऐसा कोई आदेश प्राप्त होता है तो उस पर पृथक से विचार किया जाय ।** | |
| | **(2) प्रतिवेदन है कि,** भवन निर्माण समिति की 50वीं बैठक दिनांक 04.03.2022 के मद संख्या 12 पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से विश्वविद्यालय के बजट फाईनेन्सियल एण्ड अकाउण्टस रूल्स, 1997 के नियम 210 के नीचे अंकित परन्तुक "Petty works valuing from rupees 5,001 to rupees 50,000 are to be carried out as per norms of | **लेखा एवं वित्त** |

| | | |
|---|---|---|
| | PWD Finance and Account Rules" में आंशिक संशोधन कर रूपये 50,000/- के स्थान पर 1,00,000/- प्रतिस्थापित किए जाने बाबत् कार्यालय आदेश क्रमांक विवले/16853 दिनांक 20.06.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-13)** जारी किया गया । माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से की गई कार्यवाही एवं तद्नुसार जारी कार्यालय आदेश क्रमांक विवले/16853 दिनांक 20.06.2022 प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । | |
| निर्णय | **पुष्टि की गयी ।** | |
| | (3) **<u>प्रतिवेदन है कि -</u>** कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर एवं महाविद्यालय संस्था के नाम से तीन वर्षों हेतु विश्वविद्यालय में जमा बैंक गारण्टी संबंधी मूल दस्तावेज महाविद्यालय को लौटाये जाने के क्रम में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.14(474) शैक्ष.II/मदसविवि/2020/9240 दिनांक 16.06.2020 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-15)** प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रतिवेदित किया जाना है । | **शैक्षणिक-II** |
| निर्णय | **पुष्टि की गयी ।** | |
| **मद सं. 11** | विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रबंध बोर्ड की 98वीं बैठक दिनांक 28.12.2020 के मद संख्या 04-विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2 (g) एवं 2 (f) व पूर्व में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 43वीं बैठक दिनांक 27.06.1998 के निर्णय संख्या 04 में पारित "Conduct and Discipline Rules" Ordinance के भाग B-Disipline 1-Classification के बिन्दु संख्या 01 में दिये हुए वर्गीकरण के प्रावधान की अनुपालना में विश्वविद्यालय में कार्यरत किसी भी अशैक्षणिक कर्मचारी को शिक्षण कार्य (कक्षाएं लेने सहित) करने पर रोक लगाये जाने पर निर्णय किया गया।<br><br>विश्वविद्यालय के यू.जी.सी. योग्यताधारी एवं पात्र अशैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक विभागों में कार्यालय समय से पूर्व तथा पश्चात् अध्यापन कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। जिसके क्रम में संस्थापन अनुभाग के द्वारा विश्वविद्यालय के विधि परामर्शदाता से राय ली गई जिनके अनुसारः- "उक्त निर्णय को "inadvertently लिया गया निर्णय" परिलक्षित होता है, क्योंकि अनुशासन और अतिथि शिक्षक के रूप में assignment/consent/permission पृथक एवं असंगत बिन्दु है। अधिनियम की धारा 2 (g) एवं 2 (f) में क्रमशः बोर्ड एवं employee को परिभाषित किया गया है।" | **संस्थापन** |

| | | |
|---|---|---|
| | विश्वविद्यालय के यू.जी.सी. योग्यताधारी एवं पात्र अशैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन पर विचार कर तथा उक्त विधिक राय के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | |
| निर्णय | **उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया । परन्तु योग्यताधारी कार्मिक विश्वविद्यालय से सहमति प्राप्त कर, विश्वविद्यालय की समयावधि के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पढ़ा सकते है ।** | |
| मद सं. 12 | नेत्रहीन परीक्षार्थियों से वीक्षकों हेतु वसूली जा रही फीस में छूट बाबत् महासचिव, राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 8227 दिनांक 15.09.2022 (**कार्यसूची का परिशिष्ट- 14**) प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | शैक्षणिक-I |
| निर्णय | **नेत्रहीन परीक्षार्थियों को निःशुल्क वीक्षक उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं. 13 | विश्वविद्यालय में लगातार सेवानिवृति, नई भर्ती नहीं होने व पदोन्नति आदि कारणों से वर्तमान में शिक्षकों/अधिकारियों तथा कार्मिकों की अत्यन्त कमी हो गयी है जिससे आवश्यक एवं दैनन्दिन के कार्य प्रभावित व बाधित हो रहे हैं । विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके दृष्टिगत उचित होगा कि माननीय कुलपति महोदय जिस शिक्षक/अधिकारी एवं कार्मिक को उसके जॉब चार्ट के अतिरिक्त दायित्व वहन करने की जिम्मेदारी प्रदान करें उसका निर्वहन संबंधित बिना जॉब चार्ट का उल्लेख करे सम्पादित करें एवं यदि संबंधित द्वारा अतिरिक्त दायित्व वहन करने में आना-कानी की जाती है तो माननीय कुलपति महोदय संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकते है ।<br>प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | संस्थापन |
| निर्णय | **विश्वविद्यालय की कार्य व्यवस्था व आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य/दायित्व देने के लिए माननीय कुलपति महोदय पूर्णतः अधिकृत है। अतः तद्नुसार कार्यवाही करे ।** | |
| मद सं. 14 | प्रबन्ध बोर्ड की 97वीं बैठक दिनांक 03.06.2020 के मद संख्या 04 के निर्णयानुसार "शिक्षकों के नवीन पदों के सृजन पर होने वाले व्यय भार को विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया", साथ ही शिक्षकों की संख्या एवं शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन से पड़ने वाले | संस्थापन |

| | | |
|---|---|---|
| | भार की विवरण तालिका तैयार कर राज्य सरकार को पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया । नवीन पदों के सृजन में होने वाले व्यय में विश्वविद्यालय के स्वीकृत पदों को समाहित करते हुए 120 पदों की मांग की गई थी । राज्य सरकार को इस बाबत् पत्र दिनांक 06.08.2020 प्रेषित किया गया था । महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में शैक्षणिक संवर्ग के 48 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 14 शिक्षक कार्यरत है तथा 34 पद रिक्त है जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है । जिसकी समाचार-पत्रों में भी खबरें छपती रहीं है ।<br>राज्य सरकार द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों यथा-महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति तथा उस पर होने वाले व्यय को स्वयं विश्वविद्यालय के स्रोतों से वहन करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा रिक्त पदों पर वित्तीय भार के वहन हेतु प्रकरण पुनः प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | |
| निर्णय | **उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त 34 पदों पर भर्ती करने से होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय के स्रोतों से वहन किया जाय एवं तद्नुसार राज्य सरकार से शिक्षक भर्ती की स्वीकृति प्राप्त की जाय तथा विश्वविद्यालय के पेंशन फण्ड व सेवानिवृति परिलाभ भुगतान फण्ड में विश्वविद्यालय की आय से पर्याप्त राशि जमा करायी जाय जिससे भविष्य में सेवानिवृत होने वाले सभी कर्मचारियों (दिनांक 01.01.2004 से पूर्व एवं पश्चात् नियुक्त) को सेवानिवृति परिलाभों व पेंशन आदि का भुगतान सुगमता से सतत् रूप में किया जा सके ।** | |
| मद सं. 15 | प्रबंध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05.02.2022 के मद संख्या 30 (3) के निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2022/723-A 723-B 723-H दिनांक 29.04.2022 के द्वारा विश्वविद्यालय में स्थिर वेतन पर कार्यरत सहायक कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ दिये जाने के संबंध में निम्न समिति का गठन किया गयाः-<br>1. वित्त नियंत्रक-संयोजक<br>2. सहायक कुलसचिव, विवले-सदस्य<br>3. श्री अशोक शर्मा, कनिष्ठ सहायक-सदस्य सचिव<br>समिति की बैठक दिनांक 19.09.2022 को अपरान्हू 2:30 बजे वित्त नियंत्रक महोदय के कक्ष में आयोजित की गई जिसमें समिति के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। समिति द्वारा कार्यवृत्त संस्थापन अनुभाग में प्रस्तुत कर दिया गया है। कार्यवृत्त प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं | संस्थापन |

| | | |
|---|---|---|
| | निर्णयार्थ प्रस्तुत है। (कार्यसूची का परिशिष्ट-16) | |
| निर्णय | **उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि स्थिर वेतन पर कार्यरत किसी कार्मिक को नियमित रिक्त पद पर समायोजित किये जाने की तिथि से यदि किसी कार्मिक की पेंशन हेतु अर्हता बनती है तो उसे पेंशन का लाभ दिया जाय तथा शेष कर्मचारी जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, उनके लिए सभी तथ्यों व इनकी विश्वविद्यालय में लम्बी सेवा अवधि (वर्ष 1995 से कार्यरत) आदि का उल्लेख करते हुए केवल पेंशन भुगतान की अनुमति/सहमति हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जाय। इस संबंध में माननीय विधायकों के कुछ पत्र प्राप्त हुए है जिन्हें भी समर्थन हेतु राज्य सरकार को भेजा जाय ।** | |
| मद सं. 16 | विश्वविद्यालय को वेतन विसंगति व स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की ऑडिट आक्षेप के क्रम में राज्य सरकार, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 31.03.2022 के क्रम में Existing Employee, पदोन्नति उपरान्त पदनाम, वेतन आदि के बारे में स्पष्टीकरण हेतु दिनांक 27.09.2022 को कुलसचिव, वित्त नियंत्रक व सहायक कुलसचिव (संस्थापन) ने सचिवालय, जयपुर उच्च शिक्षा विभाग व वित्त (नियम) विभाग में व्यक्तिशः सम्पर्क किया एवं इन विभागों से चर्चा/मार्गदर्शन उपरान्त एक रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत की, जो संलग्न है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट- 17, 18 एवं 19)** रिपोर्ट अवलोकनार्थ व निर्देशार्थ प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ताकि नियमानुसार सातवें वेतन आयोग में वेतन नियतन किया जा सके । (प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयानुसार) | **संस्थापन** |
| निर्णय | **राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 14 (20) शिक्षा-4/2007 जयपुर दिनांक 31.03.2022 में उल्लेखित Existing Employee की व्याख्या के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-**<br><br>**1. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की जांच रिपोर्ट में जिन 39 सहायकों एवं अनुभागाधिकारियों से वसूली किये जाने का आक्षेप लगाकर सूचीबद्ध किया गया है, उन सहायको एवं अनुभागाधिकारियों का राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 31.03.2022 के अनुसार सातवें वेतनमान में वेतन नियतन किया जाय । शेष जिनकी स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की जांच रिपोर्ट में जिन वरिष्ठ सहायकों एवं कनिष्ठ सहायकों से वसूली किये जाने का आक्षेप लगाकर सूचीबद्ध किया है, उनको इस पत्र के अनुसार वेतनमान/ग्रेड-पे देने के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन/राय प्राप्त कर ली जाय ।** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **2. कार्मिकों की पदोन्नति के उपरान्त परिवर्तित किये गये पदनाम के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन/राय प्राप्त कर ली जाय ।** | |
| **मद सं. 17** | माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1009/2016 मदसविवि, अजमेर बनाम जगमोहन, 328/2016 मदसविवि, अजमेर बनाम रामप्रकाश एवं बिरदा सिंह, 330/2016 मदसविवि, अजमेर बनाम राजकुमार शर्मा, 334/2016 मदसविवि, अजमेर बनाम सुरेन्द्र कुमार माली तथा 333/2016 मदसविवि, अजमेर बनाम अशोक शर्मा में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 एवं 332/2016 मदसविवि, अजमेर बनाम मुन्ना लाल सेन में पारित आदेश दिनांक 23.03.2017 की पालना में तथा संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ. 9(1)शिक्षा-4/2015 जयपुर दिनांक 25.05.2017 एवं पत्र क्रमांक प. 9(2)शिक्षा-4/2012 जयपुर दिनांक 12.07.2017 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-20)** के आलोक में उक्त प्रकरणों में याचीगण के लिये नियमितिकरण बाबत कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/2017/ 17355-75 दिनांक 31.07.2017 जारी किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय में विश्वविद्यालय द्वारा एस0 एल0 पी0 संख्या 1507/2018 दायर की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2021 को खारिज कर दी गई। इन कार्मिकों को पूर्व में वर्ष 2017 से वेतन वृद्धियाँ जारी नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21.06.2017 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-21)** के द्वारा एस.एल.पी. दायर करने के निर्देश प्राप्त हुए तथा एस.एल.पी. दायर की गई प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2018 से रोकी गई वेतन वृद्धियाँ जारी नहीं की गई। इसलिए श्री जगमोहन, श्री राजकुमार एवं श्री अशोक कुमार शर्मा का वर्ष 2018 से वेतन वृद्धि एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में वेतन नियतन नहीं किया जा सका।<br><br>प्रबंध बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 05.02.2022 के मद संख्या 27 के निर्णयानुसार प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श कर बिन्दु संख्या 01 पर निर्णय लिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 में विश्वविद्यालय द्वारा दायर एस0 एल0 पी0 को खारिज किये जाने के निर्णय के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन दायर नहीं की जाये तथा राज्य सरकार को निर्णय से अवगत कराने व माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना करने का निर्णय लिया गया।<br><br>विश्वविद्यालय में न्यायालय के आदेश से सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत 07 कर्मचारियों में से श्री मुन्ना लाल सेन (सेवानिवृत), श्री सुरेन्द्र | **संस्थापन** |

| | | |
|---|---|---|
| | कुमार माली, श्री रामप्रकाश एवं श्री बिरदा सिंह की पूर्व में वर्ष 2018 से रोकी गई वेतन वृद्धियाँ जारी कर दी गई है तथा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में संशोधित वेतन नियतन किया जाकर कार्यालय आदेश जारी किये जा चुके हैं, परन्तु उक्त कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना का केस दायर होने से उक्त परिलाभ उन्हे समय पर नहीं दिया जा सका परन्तु अब दिनांक 11.10.2022 को अवमानना की पालना को स्वीकार करते हुए अवमानना को खारिज कर दिया । उक्त तीन कार्मिकों को 2017 से समस्त परिलाभ मय ब्याज माननीय न्यायालय के समक्ष दिया जा चुका है। शेष 03 कार्मिक श्री जगमोहन, श्री राजकुमार एवं श्री अशोक कुमार शर्मा का वर्ष 2018 से वेतन वृद्धि एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में वेतन नियतन नहीं किया गया है।<br>श्री जगमोहन, श्री राजकुमार एवं श्री अशोक कुमार शर्मा को वर्ष 2018 से 2022 तक देय वेतन वृद्धि जारी करने एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में वेतन नियतन करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | |
| निर्णय | **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर तीनों कर्मचारियों (श्री जगमोहन, श्री राजकुमार एवं श्री अशोक कुमार शर्मा) को भी पूर्व में प्रदत्त चारों कर्मचारियों (श्री मुन्ना लाल सेन (सेवानिवृत), श्री सुरेन्द्र कुमार माली, श्री रामप्रकाश एवं श्री बिरदा सिंह) के समान सभी परिलाभ दिये जाय ।** | |
| मद सं. 18 | स्व0 श्री जी0 एस0 श्रीवास्तव सहायक कुलसचिव नियमानुसार अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय सेवा से दिनांक 31.07.2005 को सेवानिवृत हुए थे, का आकस्मिक निधन दिनांक 19.04.2022 को हो गया। स्व0 श्री जी0 एस0 श्रीवास्तव की सुपुत्री अर्चना श्रीवास्तव द्वारा परिवार पेंशन हेतु निवेदन किया गया।<br>लेखाविज्ञ जनवरी, 2021 में बिन्दु संख्या 08 पर वर्णित परिवार पेंशन (Family Pension) का बिन्दु संख्या (v) जो कि निम्न प्रकार है:-<br>(v) चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांग/दिमाग की असमर्थता से पीड़ित बच्चों में वरिष्ठ को, जीवन भर परिवार पेंशन देय होगी। (नियम 67) **(कार्यसूची का परिशिष्ट-22)**<br>सुश्री अर्चना श्रीवास्तव पुत्री स्व0 श्री जी0 एस0 श्रीवास्तव ने राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी Disability Certificate (Form-IV) Certificate No. SAP/2022/1258528 दिनांक 17.02.2022, अविवाहित होने के संबंध में शपथ पत्र दिनांक 16.05.2022 एवं किसी भी निजी/राजकीय नियोजन/कोई स्वरोजगार/आर्थिक आय अर्जन का पृथक स्त्रोत अर्थात् किसी प्रकार की | **संस्थापन** |

| | | |
|---|---|---|
| | आय नहीं होने का शपथ पत्र दिनांक 13.07.2022 संस्थापन अनुभाग में प्रस्तुत कर दिए हैं, के क्रम में पारिवारिक पेंशन जारी करने की स्वीकृति के संबंध में प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | |
| निर्णय | **उक्त प्रस्ताव को राज्य सरकार के परिवार पेंशन के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार स्वीकार किया गया ।** | |
| मद सं. 19 | विश्वविद्यालय के स्टेनोग्राफर्स ग्रेड-II एवं I को दिये जा रहे उच्चतर वेतनमान एवं दो अग्रिम वेतनवृद्धि के लाभ पर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की विशेष जांच के दौरान आक्षेप लगा दिये जाने के कारण राज्य सरकार से वांछित स्वीकृति प्राप्त करने हेतु किये गये पत्राचार के क्रम में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से पत्र क्रमांक प. 1 (5) उ.शि./ग्रुप-5/2018 जयपुर, दिनांक 21.10.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-23)** प्राप्त हुआ है, जो कि निम्नानुसार है:-<br><br>**"आर.पी.एस. 2017 में वेतन नियतन किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में आप द्वारा प्रेषित उत्तर वित्त (नियम) विभाग को परीक्षण हेतु भिजवाये जाने पश्चात् निम्नानुसार परामर्श दिया गया है:-**<br>**1. विश्वविद्यालय स्तर पर स्टेनोग्राफर-II के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को दिये गये वेतनमान के संबंध में आपको पूर्व में प्रेषित पत्र क्रमांक प.7 (1) शिक्षा-4/2017 पार्ट जयपुर दिनांक 03.11.2017 एवं प. 14 (20) शिक्षा-4/2007 पार्ट दिनांक 18.09.2020 द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।**<br>**2. स्टेनोग्राफर ग्रेड-I के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को दिये गये अधिक वेतनमान के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है ।**<br>**3. वित्त विभाग द्वारा अग्रिम वेतनवृद्धि संबंधी प्रावधान अधिसूचना क्रमांक एफ 16 (56) वित्त/नियम/1998 दिनांक 06.05.2002 के द्वारा समाप्त किये जाने एवं लेखा अनुभाग की टिप्पणी के विपरीत स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को नियम विरूद्ध स्वीकृत की गई अग्रिम वेतनवृद्धि के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है ।**<br>उक्त टिप्पणी वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है । अतः प्रकरण में वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या **102205183** दिनांक **14.10.2022** द्वारा वांछित कार्यवाही कर अवगत कराने का श्रम करावें ।" **(कार्यसूची का परिशिष्ट-24 एवं 25)** | **संस्थापन** |

| | | |
|---|---|---|
| | अतः राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 1 (5) उ.शि./ग्रुप-5/ 2018 जयपुर, दिनांक 21.10.2022 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने एवं तद्नुसार आर.पी.एस. 2017 में वेतन नियतन किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | |
| | **उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-**<br>**1. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 1 (5) उ.शि./ग्रुप-5/ 2018 जयपुर, दिनांक 21.10.2022 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य करते हुए उक्त पत्रानुसार सातवे वेतनमान का लाभ दिया जाय ।**<br>**2. राज्य सरकार के उक्त पत्र क्रमांक प. 1 (5) उ.शि./ग्रुप-5/ 2018 जयपुर, दिनांक 21.10.2022 के बिन्दु संख्या 01 में संदर्भित पत्र दिनांक 03.11.2017 के अनुसार कार्मिकों (स्टेनोग्राफर्स ग्रेड-II) को वेतनमान दिये जाने हेतु तथ्यों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से मार्गदर्शन/राय प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं. 20 | प्रबंध बोर्ड की 32वीं बैठक दिनांक 06.12.1995 के मद संख्या 27 पर लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में दिनांक 31.05.1994 तक सुरक्षा प्रहरी/चौकीदार/सहायक कर्मचारी पद पर स्थिर वेतन के आधार पर रखे गये कर्मचारियों को दिनांक 06.12.1995 से उनके पदों के लिये स्वीकृत वेतनमान एवं भत्ते देने के कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.1995 जारी किया गया। प्रबंध बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नियमित पद उपलब्ध होने तक उन्हें वरीयता के आधार पर समायोजित किया जायेगा। इस समायोजन को नियुक्ति या पदोन्नति नहीं माना जायेगा। समायोजन की दिनांक से उन्हें नियमित रूप से सेवारत माना जायेगा।<br>राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. दिनांक 18.02.2000 के बिन्दु संख्या (vii) No creation of new posts and filling up of vacant posts in the University without the express permission of Government of Rajasthan तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम (संशोधन वर्ष 2013) की धारा 36-A Control of State Government (a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees एवं 36-B-Assumption of financial control by the State Government as emergency measure प्रवृत्त एवं मान्य है । अस्थाई सहायक कर्मचारियों के समयोजन की यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय में निरन्तर प्रक्रियाधीन है तथा समायोजित कार्मिकों के संबंध में उपरोक्त | संस्थापन |

| | | |
|---|---|---|
| | प्रक्रियान्तर्गत वर्तमान में सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर वरीयता के आधार पर समायोजन किये जाने के प्रकरण को प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-26 एवं 27)** | |
| निर्णय | **समस्त तथ्यों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त सहायक कर्मचारियों को 32वीं प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 06.12.1995 की मद संख्या 27 के निर्णयानुसार लगातार समायोजित किया जाता रहा है, जिसके तहत 09 सहायक कर्मचारी समायोजित भी हो चुके है, जिसे अब एम.ओ.यू. दिनांक 18.02.2000 व 36 (a) व (b) को लेकर रोक लगाना न्यायोचित नहीं है । अब शेष रहे इन कार्मिकों को भी वरीयता के आधार पर रिक्त पदों पर समायोजित किया जाय एवं नियमानुसार यदि पेंशन की अर्हता बनती है तो पेंशन दी जाय । संभागीय आयुक्त के प्रतिनिधि श्री गजेन्द्र सिंह राठौड के अलावा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की तथा श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने इस निर्णय पर अपना Note of dissent अंकित कराया ।** | |
| मद सं. 21 | राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 9(1)शिक्षा-4/ 2015 पार्ट जयपुर दिनांक 20.09.2022 के द्वारा डॉ0 राजू लाल शर्मा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) का उनकी विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिनांक 15.02.1997 से वेतनमान संशोधित कर स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार डॉ0 राजू लाल शर्मा का दिनांक 15.02.1997 से तद्नुसार संशोधित वेतन नियतन किया जाकर आर0 पी0 एस0-2017 में वेतन नियतन किया जाना है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-28)**<br>राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.9(1)शिक्षा-4/ 2015 पार्ट जयपुर दिनांक 20.09.2022 प्रवृत एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। | **संस्थापन** |
| निर्णय | **राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प.9(1)शिक्षा-4/ 2015 पार्ट जयपुर दिनांक 20.09.2022 को विश्वविद्यालय में प्रवृत एवं मान्य करते हुए सातवे वेतनमान में वेतन नियतन किये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं. 22 | राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(5)उ.शि./ग्रुप-5/2018 जयपुर दिनांक 07.10.2020 जो कि आर.पी. एस. 2017 में वेतन नियतन किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित है, को विश्वविद्यालय में निम्नानुसार प्रवृत्त एवं मान्य किया जाना है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-29)**<br>प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | **संस्थापन** |

| | | |
|---|---|---|
| निर्णय | **राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.1(5)उ.शि./ग्रुप-5/2018 जयपुर दिनांक 07.10.2020 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया गया ।** | |
| मद सं. 23 | महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. 1507/2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर बनाम व अन्य श्री ललित कुमार शर्मा दायर की गई थी जिसमें दिनांक 27.01.2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारित आदेश के द्वारा निम्नलिखित प्रेक्षण के साथ विश्वविद्यालय की एस. एल.पी. खारिज कर दीः-<br><br>"We are not inclined to interfere with the order (s) passed by the High Court. The special leave petitions are, accordingly, dismissed. Pending applications(s), if any, shall stand disposed of. **(कार्यसूची का परिशिष्ट-30)**<br><br>माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के संदर्भित पत्र के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा दायर एस.एल.पी. खारिज कर दिये जाने से अब एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नंबर 1723/2004 में दिनांक 01.10.2015 को पारित निर्णय प्रभावी हो गया है जिसका प्रभावी भाग निम्नलिखित हैः-<br><br>The respondent-University is directed to consider the case of the petitioner for regularization, if he is otherwise found eligible. It is made clear that the benefit of regularization would be available to the petitioner-workman from the date a vacancy existed. **(कार्यसूची का परिशिष्ट-31)**<br><br>राज्य सरकार द्वारा श्री ललित कुमार शर्मा को नियुक्ति आदेश दिनांक 11.12.2017 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-32)** के उक्त निर्णय के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार श्री ललित कुमार शर्मा को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में नियुक्ति प्रदान किया जाना स्पष्ट हो रहा है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 11.12.2017 को याचि ललित कुमार शर्मा का पद माननीय न्यायालय के आदेश के तहत विशेष प्रकरण के रूप में स्वीकृति प्रदान की परन्तु राज्य सरकार शिक्षा ग्रुप-4 विभाग द्वारा प्रदत्त पत्र दिनांक 21.6.2017 के क्रम में मननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर कर दी गई।<br><br>विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 12.01.2022, 26.10.2021, 09.12.2021 एवं 21.10.2021 को शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये। उक्त प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा कार्मिक की आई.डी. जारी करने का निवेदन किया गया जिससे कि न्यायालय के निर्णय की अवमानना से बचा जा सके, परन्तु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की आई.डी. विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई। | **संस्थापन** |

| | | |
|---|---|---|
| | माननीय कुलपति महोदय के आदेश के अनुसरण में श्री ललित कुमार शर्मा के प्रकरण में राज्य सरकार के महाधिवक्ता डॉ0 विभूति भूषण शर्मा की विधिक राय ली गई। महाधिवक्ता, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.08.2022 एवं दिनांक 26.08.2022 को भेजी गई विधिक राय संलग्न है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-33)**<br><br>विद्वान ए.ए.जी. की विधिक राय एस.बी., डी.बी. एवं एस.एल.पी. में दी गई व्यवस्थाओं पर आधारित है उन्होंने विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के मद्‌देनजर यह स्पष्ट किया है कि श्री ललित कुमार को ''काम नहीं वेतन नहीं'' "no work no pay" के सिद्वान्त के अनुसार पूर्व वेतन "back wages" प्राप्त करने का अधिकार नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि शिक्षा (ग्रुप-4) के आदेश क्रमांक 41 (9) शिक्षा-4/2015 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा न्यायालय के आदेश की अनुपालना में विरोध प्रकरण के रूप में 01 पद की स्वीकृति प्रदान याची श्री ललित कुमार शर्मा की सेवा समाप्ति के साथ ही पद की समाप्ति स्वतः ही मानी जायेगी। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-34)**<br><br>उक्त तथ्यों एवं विद्वान महाअधिवक्ता की राय के मद्‌देनजर श्री ललित कुमार शर्मा को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 11.12.2017 से नियुक्त करने के आदेश प्रदान किया जाना उचित होगा, उन्हें विगत वर्षों का किसी भी प्रकार का ''पूर्व वेतन'' "back wages" देय नहीं होगा। राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प.9(1)शिक्षा-4/2015 जयपुर दिनांक 11.12.2017 के निर्देश के क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा डी.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 1471/17 (अन्तर्गत डी.बी.सी. विशेष अपील रिट संख्या 329/16 अन्तर्गत एस.बी.सी. रिट याचिका संख्या 1723/2004 ललित कुमार शर्मा बनाम रेणु जयपाल व अन्य (माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर) की पालना में 01 पद की स्वीकृति एवं याची कार्मिक को नियमित किये जाने की एतद्‌द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। 01 पद की यह स्वीकृति माननीय न्यायालय के आदेश के तहत विशेष प्रकरण के रूप में दी जा रही है जो याची की सेवा समाप्ति के साथ स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 11.12.2017 के अंतिम न्यायिक विनिश्चय के अध्यधीन रहेगी। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-35)**<br><br>राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.12.2017 के क्रम में दिनांक 05.08.2022 एवं दिनांक 26.08.2022 को प्राप्त महाधिवक्ता की विधिक राय के आलोक में प्रकरण प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | |
| निर्णय | **विश्वविद्यालय द्वारा दायर एस.एल.पी. माननीय उच्चतम न्यायालय में खारिज हो चुकी है । अतः ए.ए.जी. की राय के अनुसार कार्यवाही करते हुए श्री ललित कुमार शर्मा को राज्य सरकार के पत्र दिनांक 11.12.2017 से नियमित नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया ।** | |

| | | |
|---|---|---|
| मद सं. 24 | श्रीमती किरण शर्मा पत्नि स्व0 श्री मदन लाल शर्मा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके पति श्री मदन लाल शर्मा जो विश्वविद्यालय में (अस्थायी) सहायक कर्मचारी के पद पर प्राणीशास्त्र विभाग में कार्यरत थे का दिनांक 29.05.2020 को निधन हो गया है। उनके निधन के पश्चात् उनके वारिसान ने प्रार्थिया किरण शर्मा व उनकी एकमात्र पुत्री लतिका शर्मा है। श्रीमती किरण शर्मा ने अपनी पुत्री लतिका शर्मा को उनके पति के निधन के पश्चात् अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की जावे।<br><br>शिवांगी शर्मा पुत्री स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके पिताजी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा जो विश्वविद्यालय में (अस्थायी) सहायक कर्मचारी के पद पर शिक्षा संकुल विभाग में कार्यरत थे का दिनांक 17.07.2020 को निधन हो गया है तथा उनकी माताजी इस उम्र में बीमारी के कारण नौकरी करने में असमर्थ हैं। अतः शिवांगी शर्मा को उनके पिताजी के निधन के पश्चात् अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की जाये।<br><br>चूँकि उक्त दोनों कार्मिक विश्वविद्यालय के स्थाई नियुक्ति कर्मचारी नहीं थे बल्कि अस्थाई कर्मचारी थे ऐसी स्थिति में उनके वारिसों को नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है ।<br><br>राज्य सरकार एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के साथ हुए एम.ओ.यू. वर्ष 2000 तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के उपबन्ध 36 ए एवं 36 बी **(कार्यसूची का परिशिष्ट-36)** के अनुसार विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नियुक्ति एवं इनसे जुडे किसी भी प्रकार के वित्तीय भार को लागू करने से पूर्व सरकार से स्वीकृति लेना पूर्व में निश्चित किया जा चुका है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-37)** परन्तु माननीय कुलपति महोदय मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्रांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2022/22750 दिनांक 08.08.2022 एवं पत्रांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2022/27318 दिनांक 30.08.2022 को को दोनों कर्मकारों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित कर चुके है। जिसका अभी तक कोई जबाब नहीं आया। अतः प्रकरण प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | संस्थापन |
| निर्णय | **श्री मदन लाल शर्मा एवं श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की कोरोना मे मृत्यु हुई थी । परिवार में कोई अन्य कमाने वाला नहीं है । क्योंकि यह नियमित कर्मचारी नहीं थे तथा अनुकम्पात्मक नियुक्ति का विश्वविद्यालय सेवा नियमों में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है । परन्तु कोरोना में इनकी** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **मृत्यु हुई है इसलिए प्रबन्ध बोर्ड ने राज्य सरकार से अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया तथा राज्य सरकार से सकारात्मक कार्रवाई एवं प्रत्युत्तर की मॉनिटरिंग करने के लिए कुलसचिव/अन्य उच्चाधिकारी को अधिकृत किया जाय ।** | |
| मद सं. 25 | विश्वविद्यालय को वेतन विसंगति व स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की ऑडिट आक्षेप के क्रम में राज्य सरकार उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 31.03.2022 के क्रम में Existing Employee की, पदोन्नति उपरान्त पदनाम, आदि के बारे में स्पष्टीकरण हेतु दिनांक 27.09.2022 को कुलसचिव, वित्त नियंत्रक व सहायक कुलसचिव (संस्थापन) ने सचिवालय, जयपुर उच्च शिक्षा विभाग व वित्त (नियम) विभाग में व्यक्तिशः सम्पर्क किया एवं इन विभागों से चर्चा/मार्गदर्शन उपरान्त एक रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत की, जो संलग्न है, रिपोर्ट अनुसार राज्य सरकार से उक्त प्रकरण में सक्षम मार्गदर्शन हेतु पत्र भेजा जाना है ।<br>प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | **संस्थापन** |
| निर्णय | **उक्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मद संख्या 16 पर लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाय ।** | |
| मद सं. 26 | राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग (A-Gr-II) द्वारा जारी नोटिफिकेशन No.F.7(2)DOP/A-II/2006 Pt.-I Jaipur dated 14-03-2016 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य कर M.D.S. University, Ajmer Ordinance Governing Services Conditions etc. of University Teachers & Employees 1998 Recruitment & Promotion Rules for Non Teaching Employees Schedul-III-A (See Rulee 22 and 32(1)) में क्रम संख्या 04 पर अंकित पद कनिष्ठ सहायक पर पदोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं पदों के प्रतिशत में संशोधन किया जाना है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-38)**<br>अतः प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | **संस्थापन** |
| निर्णय | **राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (A-Gr-II) द्वारा जारी नोटिफिकेशन No.F.7(2)DOP/A-II/2006 Pt.-I Jaipur dated 14-03-2016 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य** | |
| मद सं. 27 | भवन निर्माण समिति की 49वीं बैठक दिनांक 05.11.2019, भवन निर्माण समिति की 50वीं बैठक दिनांक 04.03.2022 एवं भवन निर्माण समिति की 51वीं बैठक दिनांक 26.07.2022 के कार्यवृत्त पर विचार करना । | **अभियन्ता कार्यालय** |

| | | |
|---|---|---|
| | **(कार्यसूची का परिशिष्ट-39, 40 एवं 41)**<br>कार्यवृत्त विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | |
| निर्णय | **पुष्टि की गयी ।** | |
| मद सं. 28 | विश्वविद्यालय कार्मिकों हेतु कर्मचारी कल्याण गतिविधि के तौर पर सामूहिक जीवन बीमा सुविधा विश्वविद्यालय कार्यालय के आंतरिक स्रोत से प्रदान की जा रही है । वर्तमान में प्रति कार्मिक राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) का सामूहिक जीवन बीमा, विश्वविद्यालय द्वारा करवाया हुआ है जिसका प्रीमियम (वार्षिक) लगभग 7.67 लाख वहन किया जा रहा है ।<br>कर्मचारी संघ के प्रतिवेदन दिनांक 15.11.2022 में वर्तमान की आर्थिक स्थिति, महंगाई, मृत्यु की आकस्मिक स्थिति में सामूहिक बीमा की राशि रूपये 3,00,000/- अपर्याप्त होने से पीड़ित परिवार को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा की राशि रूपये 3,00,000/- से बढ़ाकर 10,00,000/- किए जाने हेतु मांग की गई है । उक्त मांग की पूर्ति में लगभग 23-24 लाख के बीमा प्रीमियम की राशि विश्वविद्यालय को वहन करनी होगी ।<br>कर्मचारी संघ की मांग एवं वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में पीड़ित परिवार को आर्थिक संबंल प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा की राशि रूपये 3,00,000/- से बढ़ाकर राशि रूपये 10,00,000/- किए जाने संबंधी मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | लेखा एवं वित्त |
| निर्णय | **कार्मिकों के सामूहिक बीमा की वर्तमान राशि रूपये 3,00,000/- (प्रति कार्मिक) को बढ़ाकर राशि रूपये 5,00,000/- प्रति कार्मिक किये जाने का निर्णय लिया गया । वार्षिक प्रीमियम का भुगतान विश्वविद्यालय करेगा ।** | |
| मद सं. 29 | प्रबन्ध बोर्ड की 100वीं विशेष बैठक दिनांक 09.05.2022 के मद संख्या 13 (1) में लिये गये निर्णयानुसार "**डॉ. डिग्विजय सिंह चौहान, सहायक कुलसचिव को उप कुलसचिव के पद पर पदोन्नत किये जाने के संबंध में पुनः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करके तत्काल स्वीकृति प्राप्त की जाय साथ ही डॉ. एस.के. टेलर, उप कुलसचिव को सहायक कुलसचिव के पद से उप कुलसचिंव पद पर पदोन्नत किये जाने की पुष्टि हेतु भी राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जाये ।**" उक्त निर्णय की पालना में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को | संस्थापन |

| | | |
|---|---|---|
| | पत्र क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2022/597 दिनांक 25.05.2022 **(कार्यसूची की परिशिष्ट-42)** एवं स्मरण पत्र क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2022/20313 दिनांक 19.07.2022 **(कार्यसूची की परिशिष्ट-43)** प्रेषित किये जा चुके है जिसका प्रत्युत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है । राज्य सरकार से किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रकरण पुनः प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । | |
| निर्णय | **वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के अभाव में श्री चौहान की पदोन्नति नहीं हो पायी थी । अब श्री चौहान द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके है । इस मामले पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कनिष्ठ को पदोन्नत किया जा चुका है, अतः उन्हीं नियमों के अनुरूप डॉ0 दिग्विजय सिंह चौहान की पदोन्नति की कार्यवाही की जाय तथा प्रबन्ध बोर्ड में एक महीने के अन्दर सूचित किया जाय ।** | |
| मद सं. 30 | विश्वविद्यालय में पूर्व में अंतिम बार मशीन ऑपरेटर के पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से योग्य कर्मचारियों से आवेदन मांगकर विभागीय समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाकर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2006/1205-16 दिनांक 08.04.2006 के द्वारा श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मशीन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी ।<br><br>अतः पूर्व की भांति वर्तमान में रिक्त चल रहे पदों यथा-मशीन ऑपरेटर-02, कुक-01, वेटर-01 एवं स्वीपर-01 के पदों पर विभागीय समिति के माध्यम से योग्य कर्मचारी के आवेदनों के आधार पर साक्षात्कार द्वारा चयन किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाने के संबंध में विचार कर निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है । | **संस्थापन** |
| निर्णय | **उक्त के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।** | |
| मद सं. 31 | <u>उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिये गयेः-</u><br><br>**1. प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में जो अधिकारी सदस्य-सचिव (कुलसचिव/लिंक ऑफिसर) के रूप में बैठक आयोजित करता है, वही अधिकारी (कुलसचिव/लिंक ऑफिसर) प्रबन्ध बोर्ड के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करेगा ।** | कुलसचिव कार्यालय |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. कुलसचिव के द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाली मुख्य कार्यसूची बैठक की तिथि से 14 दिन पूर्व आवश्यक रूप से माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाय ताकि नियमानुसार प्रबन्ध बोर्ड की बैठक के 10 दिवस पूर्व माननीय सदस्यों को बैठक की सूचना मय मुख्य कार्यसूची के प्रेषित की जा सके । | कुलसचिव कार्यालय |
| | 3. प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर संबंधित अनुभाग के द्वारा उनके अनुभाग से संबंधित लिये गये निर्णयों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा अनुपालना करने के तुरन्त बाद अनुपालना रिपोर्ट रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदित कराकर शैक्षणिक-प्रथम अनुभाग को प्रेषित की जाय । निर्धारित अवधि में अनुपालना नही करने वाले अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी । | शैक्षणिक-I |
| | 4. कुलपति सचिवालय प्रबन्ध बोर्ड में रखने वाले विषयों/मदों का रिकॉर्ड संधारित करे, जिससे प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों व उनकी अनुपालना की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके । | कुलपति सचिवालय |
| | 5. समस्त अनुभाग प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुति हेतु आदेशित/ निर्देशित/ प्रस्तुति योग्य मदों की यथाशीघ्र सक्षम अनुमति प्राप्त करके शैक्षणिक अनुभाग-प्रथम को भिजवा दे । प्रबन्ध बोर्ड के आयोजन की तिथि की प्रतीक्षा नहीं करें । | शैक्षणिक-I |

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव